शिक्षण संस्थानों की भूमिका :

- संस्थाध्यक्ष अपनी संस्था में इस हेतु पदेन नोडल अधिकारी होंगे।
- स्कॉलरशिप पोर्टल पर संस्थान का पंजीकरण कर पासवर्ड प्राप्त करना।
- छात्रवृत्ति के कार्य सम्पादन हेतु अपने संस्थान के ऑनलाइन प्रक्रिया में दक्ष किसी कार्मिक को पटल प्रभारी नामित करना।
- **निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपने संस्थान के सभी ऑनलाइन आवेदन कर्ताओं के आवेदन पत्रों का Online सत्यापन (Verified) कर आवेदन पत्र अग्रसारित/निरस्त करना।**

सत्र 2020-21 हेतु ऑन-लाइन आवेदन कार्यक्रम

क्र० सं०	छात्रवृत्ति	आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	आवेदन की अंतिम तिथि
1	नई (Fresh) छात्रवृत्ति	16-08-2020	31-10-2020
2	नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति	25-08-2020	31-10-2020

छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी:

- **National Scholarship Portal (http://Scholarships.gov.in) पर।**
- निम्न कार्यालय से –

National Scholarship Division,
Ministry of Education (Govt. of India)
Department of Higher Education,
West Block 1, 2nd Floor, Wing 6, Room No. 6,
R. K. Puram, Sector 1, New Delhi 110066.
Tele: 011-26172917, 26172491, 26165238

CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCHOLARSHIP FOR COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS

(कालेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय अनुभाग छात्रवृत्ति योजना)

Objective of Scheme :

"To provide financial assistance to meritorious students from low income families to meet a part of their day-to-day expenses while pursuing higher studies."

Please Contact us for detail :

Scholarship Section
Board of School Education Uttarakhand,
Ramnagar, Nainital Pin - 244715
Tele: 05947- 254275, Fax No. 05947- 255021
E-mail secy-ubse-uk@nic.in
Web : www.ubse.uk.gov.in

Scanned with CamScanner

योजना का परिचय :

- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु **केन्द्रीय अनुभाग छात्रवृत्ति योजना** के अन्तर्गत यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 616 छात्रवृत्तियों (308 बालकों तथा 308 बालिकाओं) के चयन हेतु संस्तुति की जाती है।
- सामान्यतः कुल उपलब्ध छात्रवृत्तियां विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी वर्ग (Science, Commerce and Humanities streams) में 3:2:1 में प्रदान की जाती है।
- आरक्षण केन्द्र सरकार के नियमानुसार– Scheduled Castes - 15% , Scheduled Tribes - 7.5%, Other Backward Classes - 27% & Horizontally 5% for Person(s) with Disabilities PWDs) in all the categories.

छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अर्हताएं :

- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा (कक्षा 12) में Top 20 Percentile में उत्तीर्ण विद्यार्थी Fresh छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु अर्ह होते हैं।
- आवेदक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में All India Council of Technical Education, UGC Act, 1956, Medical Council of India, Dental Council of India से मान्यता प्राप्त कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति देय नहीं है।
- आवेदक को किसी अन्य स्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
- आवेदक के माता–पिता की सकल वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से अधिक न हो।
- आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु (नवीनीकरण हेतु) अभ्यर्थी को सतत रूप से प्रतिवर्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना, कक्षा में उपस्थिति 75% होना तथा किसी भी प्रकार के रैगिंग (Ragging) की गतिविधियों में सम्मिलित न होना अनिवार्य है, **अन्यथा छात्रवृत्ति स्वत: ही निरस्त हो जायेगी।**

छात्रवृत्ति की दरें :

- छात्रवृत्ति हेतु चयनित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रथम तीन वर्षों में रू0 10000.00 (दस हजार रूपया मात्र) प्रति वर्ष एवं चौथे तथा पांचवे वर्ष में रू0 20000.00 (बीस हजार रूपया मात्र) प्रतिवर्ष।
- बी0टेक0 एवं बी0ई0 पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति केवल स्नातक स्तर तक देय है। छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के मानकों के अनुरूप है।

आवेदन प्रक्रिया :

- नई छात्रवृत्ति (Fresh Scholarship) हेतु निर्धारित योग्यताधारी विद्यार्थी Fresh National Scholarship Portal (http://Scholarships.gov.in) पर इस हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन कर सकते हैं।
- जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत गत सत्रों में अनवरत छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही हो और वे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ष (क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ नवीनीकरण) के लिये छात्रवृत्ति हेतु अर्ह हों तो Scholarship Portal (http://Scholarships.gov.in) पर निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन Renewal हेतु आवेदन करेंगे।
- **आवेदक का स्वयं के नाम से बैंक खाता किसी भी सी0बी0एस0 शाखा में हो और बैंक खाता आधार नम्बर से लिंक हो।**

अन्य आवश्यक निर्देश :

- किसी भी स्तर पर Offline आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाते हैं।
- सत्र 2020–21 में नई छात्रवृत्ति (प्रथम वर्ष) के आवेदन हेतु अर्ह छात्र–छात्राओं की सूची (सत्र 2019–20 में इस परिषद् से कक्षा 12 उत्तीर्ण) परिषद् की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** के Scholarship आइकॉन पर उपलब्ध है।
- अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है।
- छात्रवृत्ति का अंतिम आवंटन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है।

Scanned with CamScanner